Construction of a Concrete Bridge over Chenab in Pargwal

1330. SHRI KAPIL VERMA; SHRI DHARAM CHANDER PRASHANT; Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Pargwal village in Akhnoor sector of Jammu District is connected with Pakistan by land and because of the absence of a bridge, the people have to cross the river Chenab by boats to go to the Indian side; and

(b) whether Government propose to construct a concrete bridge over the Chanab for defence purposes, as the border force also have to cross the river by boats?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI ARUN SINGH); (a) Yes, Sir.

(b) There is no requirement from the Defence point of view for the construction of a bridge to connect the village.

Construction of Canal and Roads by Pakistan

1331. SHRI KAILASH PATI MISHRA; Will the Minister of DEFENCE be pleased to state;

(a) whether Government's attention has been drawn to an article which appeared in the 'Dharamyug' of 25th January, 1986 under the caption "Are we ready to face Pakistani challenge" to the effect that Pakistan has built a new canal, parallel to the Icchogil Canal, and has constructed a network of roads on that side of the Indo-Pak border and our capability to face problems arising in our cities and towns *is* meagre; and

Cb) if BO, what steps Government are contemplating for the defence o* our border and for security of our cities and towns?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI ARUN SINGH); (a) and (b) Government have se&n the Press report, but have no information about Pakistan having constructed a new canal parallel to the Icchogil CanaL However, an anti-tank obstacle between Icchogil Canal and the international border has been in existence since the 1970s. Government are aware of the road network near the border in Pakistan.

A close watch is kept on all developments having a bearing on our national security and appropriate measures are taken to ensure full defence preparedness.

सेवा निवृत्ति की आयु के पश्चात, सेवावधि में वृद्धि

1332. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके द्वारा घोषणा किए जाने के बावजूद विभिन्न मंत्रालयों में अनेक अधिकारियों को सेवा निवृत्ति की आयु के पश्चात् सेवावधि में वृद्धि दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न मंत्रालयों के वर्ग "ख" और "क" के कितने कितने अधिकारियों की सेवावधि में वृद्धि की गई अथवा उन्हें पुनर्नियुक्ति दी गई ; और

(ग) क्या यह प्रक्रिया बे रोक-टोक जारी रहेगी ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीबीरेन सिंह इंगती) : (क) से (ग) जनवरी, 1983 में प्रधान मंत्री ने अन्य बातों के साथ-साथ यह निदेश दिया था कि अधिवर्षता प्राप्त सरकारी कर्मचारियों को मंत्रालयों/विभागों द्वारा सेवा में वृद्धि उदारता

से न दी जाए और ऐसी किसी भी अवृत्ति पर रोक लगाई जानी चाहिए। इस निदेश को तथा इस विषय पर अनुदेशों को ध्यान में रखकर सरकारी कर्मचारियों को अधिवर्षिता के बाद सेवा में वृद्धि अब बहुत ही विरले तथा आत्यधिक परिस्थितियों में पूर्णतः लाकहित में मंजूर की जाती है। चूंकि संबंधित मंत्रालयों/विभागों में या उनके अधीन कार्य कर रहे विभिन्न समूहों के सरकारी कर्मचारियों को सेवा में वृद्धि मंजूर करने के लिए उन मंत्रालयों/विभागों में उपयुक्त प्राधिकारी सक्षम है, इसलिए समूह "क" तथा "ख" के जिन कर्मचारियों को सेवा में वृद्धि मंजूर की गई है उनकी संख्या तथा वृद्धि मंजूर किए जाने के कारण इस मंत्रालय में केन्द्रीय रूप में उपलब्ध नहीं हैं।

दूरदर्शन पर कार्यक्रम को प्रसारित करने के संबंध में नियम

1333. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "नेशनल नेट वर्क" पर किसी कार्यक्रम को प्रसारित किए जाने के संबंध में क्या नियम हैं और क्या इस संबंध में कोई संहिता तैयार की गई है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ख) किसी अधिकारी द्वारा संहिता का उल्लंघन करते हुए समाचार प्रसारित करने पर क्या कार्यवाही की जाती है और पिछले तीन वर्षों के दौरान किन-किन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई तथा उनके विरुद्ध किस प्रकार का कार्यवाही की गई ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजीत पांजा) : (क) और (ख) राष्ट्रीय संजाल के लिए कार्यक्रमों के चयन के लिए कोई विशिष्ट संहिता निर्धारित नहीं की गई है, जबकि उनके लिए अपनाया गया सामान्य माप-दण्ड अधिक व्यापक अपील और प्रासंगिकता होता है। जहां तक समाचार टेलीकास्ट करने का संबंध है, उनके लिए निर्धारित सामान्य मार्गदर्शी सिद्धांत विषयनिष्ठता, निष्पक्षता और समाचार की परिशुद्धता है। जबकि दूरदर्शन का समाचारों को उक्त मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार प्रस्तुत करने का सदैव ही प्रयास रहा है, दर्शकों से समाचारों की परिशुद्धता इत्यादि के संबंध में कुछ शिकायत प्राप्त हुई हैं। इस प्रकार की शिकायतें यदि हों, यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसी शिकायतों की शीघ्रता से जांच की जाती है।

Employed persons secured loans from banks

1334. DR. H. P. SHARMA; Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some employe^ persons have secured loans from the Banks on the basis of false documents;

(b) if so, whether Government have recovered the said loan advanced to them;

(c) if answer to part$_s$ (a) and (b) above be in affirmative what action Government propose to take against such persons for cheating the public financial institutions; and

(d) if not$_>$ the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHAN POOJARI); (a) and (b) Presumably, the Hon'ble Member is referring to th$_e$ cases sanctioned under Self-Employment to the Educated Unemployed Youth (SEEUY) which was introduced in the year 1983-84. Reserve Bank $_0$f India (RBI) has reported that n$_0$ complaint, *as* such, has been brought to its notice regarding employed persons receiving loan$_s$ fro$_m$ the bank on the basis of false documents. However$_i$ there was one instance where an employed person availed the loan unde$_r$ the Self-Employment Scheme from a branch by misrepresentation of facts for the benefit of his brothers who were not technically fit, fo$_r$ being selected under the Scheme. Subsequently, on the discovery that the loatn was se-